न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/108/2025 रजि0 न0 2025/285

अपीलार्थीः—

श्री नीरज कुमार कार्यालय मुख्य परिचर्या अधिकारी, द्वितीय तल, चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय ओ0पी0डी0 खण्ड एम्स, जोधपुर (राज.) 342005

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 25.08.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा—6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 21.07.2025 के परिपेक्ष्य में लोक सूचना अधिकारी कार्यालय द्वारा किये गये विनिश्चय पत्र स. 8778242528 दिनांक 23.07.2025 से असंतुष्ट होने पर आक्षेप व्यक्त किया गया है ।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना से अपीलार्थी संतुष्ट नहीं होने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 04.08.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर द्वितीय से जवाब पत्र संख्या लो0सू0अ0/प्रथम अपील 2025/1149 दिनांक 21.08.2025 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ है जिसे अभिलेख पर लिया गया व अपील में उठाये गये तथ्यों—प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया । प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 21.07.2025 के परिपेक्ष्य में इस लोकसूचना अधिकारी कार्यालय द्वारा किये गये विनिश्चय पत्र 8778242528 दिनांक 23.07.2025 पर अपीलार्थी द्वारा आक्षेप व्यक्त किया गया है साथ ही इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन संख्या 2936684316873707 दिनांक 21.07.2025 अन्तर्गत भू—अभिलेख संबंधि रिकार्ड के प्रति चाही गई है, किन्तु आवेदन में कोई विशिष्टीकृत वर्ष/संवंत का उल्लेख नहीं किया गया है जो कि राजस्थान भू—अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 28 के तहत पृथक से भू—अभिलेख अनुभाग अन्तर्गत रिकार्ड/अवलोकन प्रतिलिपी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त की जा सकती है । तदानुसार अपीलार्थी के सूचना आवेदन संख्या 2936684316873707 दिनांक 21.07.2025 के परिपेक्ष्य में RTI online portal से पत्र स. 8778242528 दिनांक 23.07.2025 के माध्यम से सूचना आवेदन खारिज कर विनिश्चय किया जा कर सूचित किया जा चुका है प्रति संलंग्न है । अतः उक्त आलोक में अपील प्रकरण नियामानुसार खारिज किया जावे ।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया ऑनलाइन पत्र स. 8778242528 दिनांक 23.07.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर सूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निरस्तारित की जाती है।
7. आज दिनांक 25.08.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर